<u>दिल्ली उच्च न्यायालय</u>

<u>आ.प्र.अ. सं. 344/2002</u>

डॉ. बिनोद बिहारी जैन एवं अन्य .....अपीलार्थीगण

के द्वारा: श्री अतुल जैन, अधिवक्ता

बनाम

डॉ. राजा बहादुर सिंह एवं अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के द्वारा: प्रत्यर्थीगण 1 से 3 हेतु श्री राज किशोर गुप्ता, अधिवक्ता
शेष प्रत्यर्थीगण हेतु कोई नहीं।

<u>निर्णय की तिथि</u>
15.05.2008

<u>कोरम:</u>
माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नंदराजोग

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ

3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

: **<u>न्या. प्रदीप नंदराजोग</u>** (मौखिक)

1. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. अपीलार्थी, आरसीए सं. 386/2000 के निपटान हेतु विद्वान अपीलीय न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1.4.2002 के आदेश से व्यथित है।

3. दिनांक 1.4.2002 के आक्षेपित आदेश के तहत विद्वान अपीलीय न्यायाधीश ने विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1.4.1997 के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया है और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए विद्वान विचारण न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया है।

4. विद्वान अपीलीय न्यायाधीश ने माना है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे को तैयार नहीं किया गया था। विद्वान अपीलीय न्यायाधीश ने मुद्दे को तैयार किया है और परिणामस्वरूप मामले को वापस भेज दिया है।

5. विद्वान अपीलीय न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया मुद्दा निम्नानुसार है: -

> "क्या प्लॉट सं. 172-173 गुरु अंगद नगर, खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली में मौजूद है? ओपीपी।"

6. पक्षकारगण के बीच विवाद और आक्षेपित आदेश की वैधता को समझने के लिए कुछ पृष्ठभूमि तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

7. प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 12.3.1986 को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया, जिसमें 50 वर्ग गज के प्लॉट सं. 172 और 173 पर जबरन कब्जा करने से अपीलार्थीगण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उक्त प्लॉट खसरा सं. 52/6 से

काटे गए थे और उन्हें गुरु अंगद नगर, खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली कॉलोनी में 172 और 173 सं. दिए गए थे।

8. प्रत्यर्थीगण द्वारा बचाव में यह तर्क दिया गया कि कॉलोनी में ऐसा कोई प्लॉट मौजूद नहीं था और अपीलार्थीगण द्वारा जिस टाइटल डीड पर भरोसा किया गया, वह साइट पर मौजूद उस जमीन से संबंधित नहीं थी, जिस पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा था। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, विचाराधीन जमीन का सं. 133, पश्चिम गुरु अंगद नगर, गुरुद्वारा रोड, खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली है।

9. पक्षकारगण की दलीलों पर विद्वान विचारण न्यायाधीश ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दा तय किया:

"क्या वादी शिकायत में दावा की गई राहत के हकदार हैं? ओपीडी।"

10. आवश्यक पक्ष के शामिल न होने से संबंधित एक मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

11. पक्षकारगण की अपनी-अपनी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। शीर्षक दस्तावेज साबित किए गए। दुर्भाग्य से पक्षकारगण के लिए कॉलोनी एक अनधिकृत कॉलोनी है और इसलिए कोई स्वीकृत लेआउट नहीं है। इस प्रकार इस मुद्दे पर साइट पर भूमि के स्थान और आस-पास की भूमि के संदर्भ में इसकी सीमाओं के संदर्भ में बहस की गई।

12. मुद्दा सं. 2 पर निर्णय लेते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने प्रत्यर्थीगण के इस दावे पर गौर किया कि वे गुरु अंगद नगर, खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली के प्लॉट सं. 172-173 की 50 वर्ग गज जमीन के मालिक हैं और

उस पर उनका कब्जा है तथा यह जमीन खसरा सं. 52/6 से काटी गई है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण के बचाव पर भी गौर किया कि वाद वाली जमीन पर वास्तव में म्यूनिसिपल सं. 133, गुरु अंगद नगर, खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली का कब्जा है और वे उस पर काबिज हैं।

13. प्रस्तुत साक्ष्य पर चर्चा करते हुए विचारण न्यायाधीश ने पैरा 9 में कहा है, *"यह साबित करना वादी का काम था कि प्लॉट सं. 172-173 खसरा सं. 52/6 में मौजूद है।"*

14. पैरा 13 में विद्वान विचारण न्यायाधीश ने माना है कि: *"यह साबित करना वादी का काम था कि वे वर्तमान में प्लॉट सं. 172-173 के कब्जे में हैं, लेकिन वे ऐसे किसी भी प्लॉट के अस्तित्व के बारे में रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रहे हैं...."*

15. साक्ष्य पर चर्चा के बाद आगे निष्कर्ष यह दिया गया कि: *"यह नहीं कहा जा सकता कि कोई प्लॉट सं. 172-173 वर्ष 1977 में या उसके बाद भी अस्तित्व में था/है"।*

16. विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा निर्णय के पैरा 14 में यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए चर्चा समाप्त हो गई है कि पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि गुरु अंगद नगर, खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली में 172-173 सं. के किसी भी प्लॉट का अस्तित्व है।

17. यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए मुद्दे सं. 2 के संबंध में, पक्षकार इस तथ्य से अवगत थे कि बहस इस विषय पर

है कि क्या वाद भूमि की प्लॉट सं. 133, गुरु अंगद नगर, खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली या प्लॉट सं. 172-173, गुरु अंगद नगर, खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली थी।

18. इस प्रकार, विद्वान अपीलीय न्यायाधीश ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि वास्तविक मुद्दे पर पक्षकारगण के बीच बहस नहीं हुई थी।

19. यह स्थापित कानून है कि जहां कोई विशिष्ट मुद्दा तैयार नहीं किया गया है, लेकिन पक्षकारगण समझते हैं कि एक विशेष मुद्दा, व्यापक रूप से शब्दबद्ध, विशिष्ट मुद्दे को कवर करता है और उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, कोई भी पक्ष यह तर्क नहीं दे सकता है कि विशिष्ट मुद्दे को तैयार न करने से पक्ष को पूर्वाग्रह हुआ है।

20. इन परिस्थितियों में अपील की अनुमति दी जाती है और दिनांक 1.4.2002 के आक्षेपित आदेश को गुण-दोष के आधार पर आरसीए सं. 386/2000 पर निर्णय लेने के लिए विद्वान अपीलीय न्यायाधीश को परिणामी निर्देशों के साथ रद्द कर दिया जाता है।

21. निष्कर्ष निकालने से पहले, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की दलील पर गौर किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि पहली अपील में, अपीलार्थीगण ने एक बयान दिया था कि वे अपील का विरोध नहीं करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि अपीलार्थीगण ने वाद के निर्णय पर सहमति व्यक्त की।

22. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अपील पर विचार करते समय विद्वान अपीलीय न्यायाधीश के समक्ष आज बार में की गई दलीलों का

समर्थन करने और उन्हें कायम रखने के लिए कोई सामग्री है, तो विद्वान अपीलीय न्यायाधीश ऐसी सामग्री पर ध्यान देंगे।

23. पक्षकारगण को दिनांक 3.7.2008 को विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। श्री राज पॉल सिंह तेजी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए आरसीए सं. 386/2000 को बहाल किया जाएगा और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

24. कोई कीमत नहीं।

मई 15, 2008 **न्या. प्रदीप नंदराजोग**

डीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*